फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भूरीबाई **विपक्षी : श्री देवीलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 131/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। मूल वाद आज दिनांक को कैम्प में स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। प्रकरण में दिनांक 27.12.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षी सं. 1 को किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया गया हैं। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः अन्तिम डिक्री जारी किये जाने तक उभय पक्षकारान को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित हैं ताकि किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न न हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **:: आदेश ::** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 4853 रकबा 0.2185 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। **(मयंक मनीष I.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.21 11:11:14 IST Reason: SelfAttested	